


रुची की अभिव्यक्ति / Expression of Interest

पश्चिम मध्य रेलवे के रेलवे लाभार्थियों की लैब जॉच करने हेतु जबलपुर की प्राइवेट लैब से आवेदन बुलाये जा रहे हैं। नियम एवं शर्तों की प्रति इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 11.05.2018 को मध्याह्न 01.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11.05.2018 समय मध्याह्न 01.00 बजे है।

इसके बाद जमा किये गये आवेदनो को निरस्त कर दिया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत विवरण नियम व शर्तों रेलवे वेबसाईट पर भी देखी जा सकता है।

:- www.wcr.indianrailways.gov.in


/ चिकित्सा निदेशक
केन्द्रीय चिकित्सालय जबलपुर


—: नियम एवं शर्तें :—

विषय :- केन्द्रीय चिकित्सालय पमरे जबलपुर के रोगियों को चिकित्सा पैथोलॉजी जांच प्राइवेट सेंटर से करवाने बावत

—0—

1. केन्द्रीय चिकित्सालय प. म. रे. जबलपुर से रिफर किये गये रोगियों का निर्धारित जांच पैथोलॉजी सेंटर पर जिसमें पैथोलॉजिस्ट विशेषज्ञ हो, जिसके सुपरविजियन में ही जांचे हो और वह इन्हें हस्ताक्षरित करें तथा रिपोर्ट की गुणवत्ता संतोषजनक एवं उच्च होनी चाहिए। विशेषज्ञ का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जावेगा।
2. सभी Offer में से सूक्ष्म निरीक्षण कर जो पार्टी CGHS/NABL की दरों पर रेलवे की शर्तों के अनुसार कार्य करेगी उसे स्वीकार किया जाएगा। जांचो का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत दर या NABL की दरों से किया जायेगा।
3. रोगियों की जांच के सैंपल OPD & INDOOR दोनों जगह से लेना होगा जिसका विवरण पैथोलॉजी में रखे गये रजिस्टर में प्रत्येक दिन दर्ज करने होंगे। जांचों की रिपोर्ट यथासंभव उसी दिन देना होगा।
4. रेफर किये गये मरीजों द्वारा शिकायत आने या किसी शर्तों के उल्लंघन या असंतोषप्रद कार्य करने पर करार को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।
5. केन्द्रीय चिकित्सालय पमरे जबलपुर से रोगी को 02 प्रतिशों में रेफर पत्र दिया जायेगा एक आपके द्वारा अपने पास रखा जायेगा तथा रेफर पत्र की एक प्रति माह समाप्ति पर बिल के साथ लगाकर अगले माह के प्रथम सप्ताह में केन्द्रीय चिकित्सालय पमरे जबलपुर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बिल तीन प्रति में प्रस्तुत करना होगा व रोगियों का ब्लड सैम्पल केन्द्रीय चिकित्सालय पमरे जबलपुर से सुबह 11 बजे से 1 बजे तक (कलेक्ट) करना होगा। इसके अलावा आकस्मिक परिस्थिती में रक्त सैम्पल निर्धारित समय के बाद भी आकर लेना होगा।
6. आपके द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई वाद - विवाद एवं कानूनी अड़चन उत्पन्न होती है तो उसकी जवाबदारी आपकी होगी।
7. जांच कार्य में किसी भी प्रकार का अवरोध होता है तो जांच केन्द्र को इन्हीं स्वीकृत दर पर अन्य जांच केन्द्र से रोगी को जांच करवाकर देनी होगी जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. ठेका अवधि स्वीकृत करने के 36 माह (तीन वर्ष के लिए) तक वैध होगी।
9. दर संलग्न शेड्यूल में अंकों एवं शब्दों में आवश्यक रूप से लिखी जानी है। अंकों एवं शब्दों में भिन्नता होने पर निम्नतम दर स्वीकार की जायेगी।
10. जांच रिपोर्ट जांच सेंटर के प्रिंटेड पेज पर देनी होगी। तथा विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित हो।
11. सक्षम अधिकारी को ठेका बिना कारण बताये समय से पूर्व समाप्त करने/अवधि कम करने/अवधि बढ़ाने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. आपके केन्द्र को संबंधित जांचों के लिए सक्षम अधिकारी केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने के प्रमाण पत्र की प्रति आवश्यक रूप से जमा करें। यदि आपका लैब NABL द्वारा रजिस्टर्ड है तो NABL का सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से संलग्न करे।
13. Offer देने का निर्णय चिकित्सा निदेशक जबलपुर का होगा व अंतिम होगा।
14. CGHS लिस्ट के अलावा आपकी लैब में होने वाली अन्य जांचों की दर भी अपने आफर में दे सकते हैं।
15. Agreement 30 दिनों में रेलवे के नियम एवं शर्तों पर करना होगा, तथा उस समय के प्रचलित रेलवे के नियमों के अनुसार बयाना राशि जो कि वर्तमान में रूपयें = 50000/- जमा करना होगा।
16. सक्षम अधिकारी कभी भी लैब का निरीक्षण स्वयं या किसी रेलवे चिकित्सा अधिकारी या रेलवे चिकित्सा टीम से करवा सकते हैं।
17. इसे रेल नेट पर देखा जा सकता है।

फर्म का सील एवं पता


/ चिकित्सा निदेशक

केन्द्रीय चिकित्सालय जबलपुर